न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 547/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. पूनमचंद पुत्र मालाराम 2. वीरमा पुत्री मालाराम 3. सोहनी पुत्री मालाराम 4. राजूराम पुत्र बाबूलाल 5. नैनूदेवी पत्नी बाबूलाल 6. गीता पुत्री बाबुलाल 7. वर्षा पुत्री बाबुलाल 8. भावना पुत्री बाबूलाल 9. वसुन्धरा पुत्री बाबूलाल 10. पुरखाराम पुत्र तेजाराम 11. भाखराराम पुत्र तेजाराम 12. सुखाराम पुत्र तेजाराम समस्त जातियान–विश्नोई निवासीगण सेडवा तहसील सेडवा जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, सेडवा जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.09.2022 जो उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा जिला बाडमेर के आदेश जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 48/2022 अनवान पूनमचंद वगैरा बनाम तहसीलदार सेड़वा में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री लाधुराम पुनिया, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2– श्री नवल सिह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 5 जनवरी, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी सेडवा के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सेडवा तहसील सेडवा के मूल ख0न0 532/174 रकबा 34 बीघा 12 बिस्वा अपीलार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई है उक्त खसरे से आपसी सहमति से विभाजन होने से अलग अलग बटटा नम्बर सर्जित किये गये है उक्त खसरा की भूमि मे से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवासीय परियोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया गया था जिसका नवीन खसरा संख्या 820/174 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, ख0न0 821/174 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा कायम किया गया, उक्त संपरिवर्तन के बाद अपीलार्थीगण के द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर 820/174 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में से 50 फीट की दूरी को छोड़कर 30 फीट भूमि सड़क निर्माण हेतु राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित की गयी जिसके नवीन खसरा संख्या 1001/174 राज्य सरकार के पक्ष में कायम किया गया जो समर्पित भूमि सेडवा –बाखासर मुख्य सड़क के केन्द्र बिन्दु से 175 फीट दूरी पर स्थित है। उक्त समर्पित भूमि का नक्शे मे तरमीम करते वक्त हल्का पटवारी द्वारा खसरा संख्या 820/174 व

राजस्व अपील संख्या 547/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. पूनमचंद पुत्र मालाराम 2. वीरमा पुत्री मालाराम 3. सोहनी पुत्री मालाराम 4. राजूराम पुत्र बाबूलाल 5. नैनूदेवी पत्नी बाबूलाल 6. गीता पुत्री बाबुलाल 7. वर्षा पुत्री बाबुलाल 8. भावना पुत्री बाबूलाल 9. वसुन्धरा पुत्री बाबूलाल 10. पुरखाराम पुत्र तेजाराम 11. भाखराराम पुत्र तेजाराम 12. सुखाराम पुत्र तेजाराम समस्त जातियान–विश्नोई निवासीगण सेडवा तहसील सेडवा जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, सेडवा जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.09.2022 जो उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा जिला बाडमेर के आदेश जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 48/2022 अनवान पूनमचंद वगैरा बनाम तहसीलदार सेड़वा में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री लाधुराम पुनिया, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2– श्री नवल सिह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 5 जनवरी, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी सेडवा के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सेडवा तहसील सेडवा के मूल ख0न0 532/174 रकबा 34 बीघा 12 बिस्वा अपीलार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई है उक्त खसरे से आपसी सहमति से विभाजन होने से अलग अलग बटटा नम्बर सर्जित किये गये है उक्त खसरा की भूमि मे से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवासीय परियोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया गया था जिसका नवीन खसरा संख्या 820/174 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, ख0न0 821/174 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा कायम किया गया, उक्त संपरिवर्तन के बाद अपीलार्थीगण के द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर 820/174 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में से 50 फीट की दूरी को छोड़कर 30 फीट भूमि सड़क निर्माण हेतु राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित की गयी जिसके नवीन खसरा संख्या 1001/174 राज्य सरकार के पक्ष में कायम किया गया जो समर्पित भूमि सेडवा –बाखासर मुख्य सड़क के केन्द्र बिन्दु से 175 फीट दूरी पर स्थित है। उक्त समर्पित भूमि का नक्शे मे तरमीम करते वक्त हल्का पटवारी द्वारा खसरा संख्या 820/174 व 821/174 से 50 फीट की दूरी को विलोपित करते हुए उक्त खसरा के लगोलग लटठा

समर्पित भूमि खसरा संख्या 820/174 एवं 821/174 के मध्य मूल खसरा संख्या 832/174 की रकबा 02 बीघा 5 बिस्वा भूमि का नक्शे मे अंकन नहीं कर त्रुटि कारित की गयी है। उक्त त्रुटिपूर्ण तरमीम को दूरस्त करवाकर राजस्व रेकर्ड व नक्शा लटठा ट्रेस मे रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा का अलग से खसरा कायम करने के अपीलार्थीगण अधिकारी है। उक्त खसरो के संपरिवर्तन के बाद अपीलार्थीगण के द्वारा 50 फीट छोड़ते हूए 30 फीट भूमि सरकार के पक्ष मे समर्पित की थी। उसके बाद खसरा संख्या 1022/174 रकबा 1 बीघा एवं खसरा संख्या 1007 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का संपरिवर्तन सेड़वा–बाखासर मुख्य सड़क के केन्द्र से 205 फीट भूमि को छोडकर आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया था, राजस्व कर्मचारियो द्वारा तरमीम करते वक्त अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि को गलत तरमीम कर दी गयी, अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि एवं संपरिवर्तन की गयी भूमि के बीच 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि खाली रहती है परन्तु उसको भूल से मूल खसरा के साथ ही रख दी गयी है जो लटठा ट्रेस मे भी त्रुटि रह गयी है, इसलिये मूल खसरा संख्या 532/174 रकबा 34 बीघा 12 बिस्वा से नवसर्जित खसरा संख्या 532/174 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा, ख0न0 1004/174 रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा, ख0न0 1003/174 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा, ख0न0 1002/174 रकबा 02 बीघा 1 बिस्वा एवं संपरिवर्तन की गयी भूमि ख0न0 820/174 व 821/174, 1022/174, 1023/174 एवं 1007/174 के बीच शेष रही भूमि रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा लटठा ट्रेस मे गलत की गयी तरमीम को निरस्त कर प्रार्थनापत्र के संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे दर्शाये अनुसार दुरस्त करते हुए, शेष रहे खसरा रकबे को नवसृर्जित खसरा संख्या 532/174, 1004/174, 1003/174, 1002/174 से आंशिक रकबा कम करते हुए नया खसरा सृर्जित करते हुए नक्शा ट्रेस मे खसरा संख्या 820/174 एवं 821/174 तथा 1001/174 के बीच रकबा 02 बीघा 3 बिस्वा के मध्य रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि की तरमीम दुरूस्त की जावे।

अपीलार्थीगण के उपरोक्त प्रार्थनापत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी तहसीलदार सेडवा को जरिये नोटिस तलब किया, इसके बाद तहसीलदार सेडवा से तरमीम, कब्जे की, मौका रिपोर्ट तलब की तहसीलदार सेड़वा ने पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक सेडवा को साथ रखकर मौके पर जाकर दिनांक 01.07.2022 को मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय नक्शा के तैयार की तथा उक्त मौका रिपोर्ट मे अपीलार्थीगण द्वारा तरमीम दुरूस्ती के प्रार्थनापत्र मे चाही गयी तरमीम को सही पाया तथा उक्त अनुसार तरमीम किये जाने पर सहमति देकर तरमीम को दुरूस्त करने की तहसीलदार द्वारा अनुशंषा की गयी।

उक्त मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने बिना कोई न्यायसंगत कारण दिये अपीलार्थीग्ण के तरमीम दुरूस्ती के प्रार्थनापत्र को आदेश दिनांक 02.09.2022 के द्वारा खारिज किये जाने का आदेश दे दिया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्टस के अधिवक्ता ने

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि, न्याय व अभिलेख के विपरीत होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। उपखण्ड अधिकारी महोदय ने अपीलार्थीगण के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131 व 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम को अस्वीकार करने मे भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गयी हैं क्योंकि उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार, सेडवा की ओर से पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 01.07.22 की अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरित होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। उपखण्ड अधिकारी के समक्ष तहसीलदार सेडवा मौका फर्द दिनांक 01.07.2022 पत्रावली पर मौजूद थी, जिसका खण्डन करने वाला कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही था तथा उक्त मौका फर्द तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर मौतबिरान एवं खातेदारान की उपस्थिति मे तैयार की है जो मौके की वास्तविक स्थिति को दर्शाती है जिसको नहीं माने जाने का कारण उपखण्ड अधिकारी के समक्ष नही था। इन परिस्थितियो मे अपीलार्थीगण का तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने के योग्य है। ऐसे में उपखण्ड अधिकारी का अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.2022 को निरस्त करते हुए प्रार्थनापत्र बाबत् नक्शा तरमीम दुरूस्ती अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, सेडवा की ओर से प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब की गई थी और उसी के अनुसार अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष अस्वीकार करने योग्य होने से उनका प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया है जो अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखे जाने योग्य है।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम सेडवा तहसील सेडवा के मूल ख0न0 532/174 रकबा 34 बीघा 12 बिस्वा अपीलार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी होने तथा उक्त खसरे से आपसी सहमति से विभाजन होने से अलग–अलग बटटा नम्बर सर्जित होने के पश्चात उक्त खसरा की भूमि मे से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवासीय परियोजनार्थ संपरिवर्तन हुए तथा नवीन खसरा संख्या 820/174 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, ख0न0 821/174 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा कायम किया गया, तत्पश्चात अपीलार्थीगण के द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर 820/174 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में से 50 फीट की दूरी को छोड़कर 30 फीट भूमि सड़क निर्माण हेतु समर्पित की गयी जो खसरा संख्या 1001/174 राज्य सरकार के पक्ष में कायम की जो सेडवा –बाखासर मुख्य सड़क के केन्द्र बिन्दु से 175 फीट दूरी पर स्थित बताई। उक्त समर्पित भूमि का नक्शे मे तरमीम करते वक्त खसरा संख्या 820/174 व 821/174 से 50 फीट की दूरी को विलोपित करते हुए उक्त खसरा के लगोलग लटठा ट्रेस मे समर्पित भूमि का अंकन कर दिया। उक्त समर्पित भूमि खसरा

संभागीय आयुक्त

संख्या 820/174 एवं 821/174 के मध्य मूल खसरा संख्या 832/174 की रकबा 02 बीघा 5 बिस्वा भूमि का नक्शे मे अंकन नहीं किया गया। जिसके आधार पर लटठा ट्रेस मे गलत की गयी तरमीम को निरस्त कर संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे दर्शाये अनुसार दुरस्त कर, शेष रहे रकबे को नवसृर्जित खसरा संख्या 532/174, 1004/174, 1003/174, 1002/174 में से आंशिक रकबा कम करते हुए नया खसरा सृर्जित करते हुए नक्शा ट्रेस मे खसरा संख्या 820/174 एवं 821/174 तथा 1001/174 के बीच रकबा 02 बीघा 3 बिस्वा के मध्य रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि की तरमीम दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर तहसीलदार सेडवा के द्वारा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट तलब की गई जिसमें अपीलार्थीगण की ओर से चाहा गया अनुतोष यानि प्रार्थना पत्र में चाही गई तरमीम को सही बताया तथा तरमीम किये जाने की सहमति देकर तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने से पूर्व उक्त मौका फर्द का गहनता से अवलोकन नहीं किया और न ही उक्त मौका फर्द को स्वीकार नहीं करने का कोई पर्याप्त आधार अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है, मात्र यह अंकित करना कि प्रार्थी ने खसरा नवसृजित करने व तरमीम दुरूस्त करने के लिये यह आवेदन प्रस्तुत किया है, तथा प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने के आधार पर खारिज कर दिया है, जिसे न्याय किये जाने की दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है और न ही अपीलाधीन आदेश को स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में माना जा सकता है। मात्र सरसरी तौर पर ही इस प्रकार के प्रार्थना पत्रों को खारिज करने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत बहाल रखे जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, सेडवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.2022 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, सेडवा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार, सेडवा की ओर से प्रस्तुत मौका फर्द 24.08.2022 के अनुसार नियमानुसार राजस्व नक्शें में खसरान भूमि की तरमीम दुरूस्ती की कार्यवाही की जावें। निर्णय आज दिनांक 05 जनवरी, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर